# छत्तीसगढ़ विधान सभा

दिसम्बर, 2012 सत्र

## दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर, 2012 (अग्रहायण 23, 1934)

समय 11:00 बजे दिन

### 1. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

### 2. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त-

1. छत्तीसगढ़ राज्य के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 वर्ष 2011-2012 तथा
2. छत्तीसगढ़ राज्य के विनियोग लेखे वर्ष 2011-2012 पटल पर रखेंगे.

(2) श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, अधिसूचना क्रमांक एफ-05-21/बजट/2012/14-2, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 द्वारा अधिसूचित छत्तीसगढ़ राज्य की कृषि नीति पटल पर रखेंगे.

### 3. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, जिला जांजगीर-चांपा में जर्वे डिवीजन के बोकरामुड़ा माइनर अंतर्गत किसानों को सिंचाई हेतु पानी न दिये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री अग्नि चंद्राकर, सदस्य, जिला महासमुंद में आदिवासियों के उत्थान हेतु प्राप्त विशेष केन्द्रीय सहायता प्रोत्साहन राशि का उपयोग नहीं किये जाने की ओर आदिम जाति विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

### 4. प्रतिवेदन की प्रस्तुति

श्री विरेन्द्र कुमार साहू, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का (सदन द्वारा पारित अशासकीय संकल्पों पर कार्यवाही संबंधी) सप्तम् प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

### 5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री लेखराम साहू, सदस्य, कुरूद विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम कोर्रा से भेण्डरा मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम गोबरा से सिवनीकला मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(iii) ग्राम खैरझिटी से कुण्डेल मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(iv) ग्राम मंदरौद से मेघा मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(v) ग्राम रामपुर से हंचलपुर मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(vi) ग्राम हथबंद करगा से हसदा मार्ग में सरार नाले पर पुल निर्माण करने,

(vii) ग्राम अरौद से मेघा मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(viii) ग्राम मड़ेली (कचना) में चिरैयाखार नाले पर पुल निर्माण करने,

(ix) ग्राम डांडेसरा से भांठापारा मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(x) ग्राम मरौद से नवागांव मार्ग में नाले पर पुल निर्माण करने,

(xi) ग्राम कोकड़ी (नारी) के माध्यमिक शाला में अहाता निर्माण करने,

(xii) ग्राम बगौद के हाईस्कूल में अहाता निर्माण करने,

(xiii) ग्राम बिरेझर से सिर्री संकरी चिवरी मार्ग निर्माण करने,

(ivx) ग्राम तर्रागोंदी से ओदरागहन मार्ग निर्माण करने,

(xv) ग्राम जोरातराई से अमलीडीह मार्ग निर्माण करने,

(2) श्री अमितेश शुक्ल, सदस्य -

(i) विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम परशदाजोशी से रक्सा तक मार्ग निर्माण करने,

(ii) विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम बारूला-रवेली-चैतरा तक मार्ग निर्माण करने,

(iii) विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम सोनासिल्ली से पथर्री से सरगोंड तक मार्ग निर्माण करने,

(iv) विकासखण्ड फिंगेश्वर के ग्राम बरभाठा से बोरसी तक मार्ग निर्माण करने,

(v) विकासखण्ड गरियाबंद के ग्राम कोदोबतर से बहरागुड़ा तक मार्ग निर्माण करने,

(3) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम खैरी एवं गुर्रा के मध्य जमनैया नाले में उच्च स्तरीय पुल निर्माण करने,

(ii) ग्राम अमलीडीह में हाईस्कूल खोलने,

(4) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, अकलतरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत -

(i) ग्राम फरहदा में स्टापडेम निर्माण करने तथा

(ii) ग्राम कटनई में हाईस्कूल का हायर सेकेण्डरी स्कूल में उन्नयन करने

**के संबंध में याचिकायें प्रस्तुत करेंगे.**

## 6. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री रामविचार नेताम, जल संसाधन मंत्री, छत्तीसगढ़ सिंचाई (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 16 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

(2) श्री राजेश मूणत, परिवहन मंत्री, छत्तीसगढ़ मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक,2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

क्रमशः ...... 3

निर्धारित समय **7. वर्ष 2012-2013 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर मतदान**

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, निम्नलिखित प्रस्ताव करेंगे:-

दिनांक 31 मार्च, 2013 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,19, 20, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 50, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 65, 66, 67, 69, 71, 79, 80, 81 एवं 82 के लिए राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को कुल मिलाकर **पन्द्रह सौ आठ करोड़, सनतानवे लाख, पैंतीस हजार रुपये** की अनुपूरक राशि दी जाये.

3 घंटे

## 8. शासकीय विधि विषयक कार्य

डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक,2012 (क्रमांक 18 सन् 2012) का पुर:स्थापन करेंगे तथा प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

## 9. संकल्प

1 घंटा श्री चन्द्रशेखर साहू, कृषि मंत्री, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

"यह सदन सिफारिश करता है कि छोटे-छोटे किसानों, खुदरा व्यवसाइयों एवं दुकानदारों के हित संरक्षण को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार मल्टी-ब्राण्ड खुदरा व्यापार में 51 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने संबंधी अपने निर्णय पर देशहित में पुनर्विचार करे।"

रायपुर
दिनांक 13 दिसम्बर,2012

देवेन्द्र वर्मा
प्रमुख सचिव.